INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

IN-UP01537212881997V

Certificate No.	: IN-UP01537212881997V
Certificate Issued Date	: 30-Aug-2023 12:26 PM
Account Reference	: NEWIMPACC (SV)/ up14701404/ KADIPUR/ UP-SLT
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UPUP1470140498650351084769V
Purchased by	: SRI L C S S S BHAWANIPUR BY M PREM PRAKASH JAISWAL
Description of Document	: Article 4 Affidavit
Property Description	: Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:
First Party	: SRI L C S S S BHAWANIPUR BY M PREM PRAKASH JAISWAL
Second Party	: Not Applicable
Stamp Duty Paid By	: SRI L C S S S BHAWANIPUR BY M PREM PRAKASH JAISWAL
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 100 (One Hundred only)

Sign & Date
ACC Name- Ram Sahay Shukla
Add- Ranipur, Kadipur-Sultanpur
ACC CODE 4701404
Mob. 6726834483

CANCELLED

NOTARIAL NOTARIAL

NOTARY

(प्रारूप–अ)

सत्र 2023-24 में स्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाओं की सोसाइटी/ट्रस्ट के अध्यक्ष और प्रबंधक द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ–पत्र का प्रारूपः–

हम राम सहाय जायसवाल एवं प्रेम प्रकाश जायसवाल क्रमशः अध्यक्ष एवं प्रबंधक श्री लालचन्द सामाजिक सेवा समिति पता ग्राम– भवानीपुर(सूरापुर) पोस्ट– तवक्कलपुर नगरा तहसील– कादीपुर जिला– सुलतानपुर शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते है–

1. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा लालचन्द कालेज ऑफ फार्मेसी पता– ग्राम– भवानीपुर(सूरापुर) पोस्ट– तवक्कलपुर नगरा तहसील– कादीपुर जिला– सुलतानपुर नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023–24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम लालचन्द कालेज ऑफ फार्मेसी पता– ग्राम– भवानीपुर(सूरापुर) पोस्ट– तवक्कलपुर नगरा तहसील– कादीपुर जिला– सुलतानपुर मे गाटा संख्या 151,152,153,156,157मि, एवं 157मि, रकबा 0.891हे0 भूमि है।
3. यह कि,उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नही चल रहा है,और भूमि विवाद रहित है।

4. यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 151,152,153,156,157मि, एवं 157मि, रकबा 0.891हे0 भूमि पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 15.10.2020 द्वारा पारित किया गया है।

5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।

6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउन्सिल आर्फ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अन्तर्गत ही डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

8. यह कि, इस संस्था में फार्मेसी काउन्सिल आर्फ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

9. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउन्सिल आर्फ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद,उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई0टी0आई आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न तो भविष्य में कभी किया जायेगा।

10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउन्सिल आर्फ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानको के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

11. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारम्भ के पूर्व कर लिया जायेगा।

12. यह कि, शासन /परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों /आदेशों का भलीभांति पालन करूगां। यदि मेरे संस्था में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नही की जाएगी।

13. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से [illegible] दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाए जाते है तो मेरे [illegible] परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी [illegible] कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

ह0 प्रबंधक

ह0 अध्यक्ष